राजनीतिक सहभागिता

[POLITICAL PARTICIPATION]

राजनीतिक सहभागिता सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य तत्व है। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली का तो बुनियादी आधार ही 'सहभागिता' है क्योंकि इसका संचालन जनता द्वारा किया जाता है। यद्यपि राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन लोकतन्त्र के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, किन्तु ऐसी बात नहीं है कि लोकतन्त्र ही केवल राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करता हो। आज की शताब्दी में सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं चाहे वे सर्वसत्तावादी हों या लोकतन्त्रवादी, अनुदारवादी हों या प्रतिक्रियावादी, अपने नागरिकों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार देती हैं और इस आधार पर वे अपने देश को लोकतान्त्रिक शासन का गौरवपूर्ण स्थान देती हैं।

राजनीतिक सहभागिता : अर्थ एवं परिभाषा (Political Participation : Meaning and Definition)

व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार या उसकी राजनीति में अभिरुचि या राजनीति से उलझाव ही सामान्यतया राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। सामान्य तौर से नागरिकों के वह कार्य जो सरकार की निर्णयकारी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। ऐप्टर जैसे विद्वान जन गतिशीलता को भी सहभागिता के अन्तर्गत मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति की ओर नागरिकों का दृष्टिकोण और झुकाव ही राजनीतिक सहभागिता है। मैक्मलोस्की के अनुसार राजनीतिक सहभागिता लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सहमति देने अथवा दबाव लेने का एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। इनके शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के सदस्य शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन नीतियों के निर्माण के रूप में भाग लेते हैं, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैथ्यूज तथा प्रोथो ने राजनीतिक सहभागिता को जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से सम्बन्धित सभी प्रकार का व्यवहार बताया है। नोमन एच. नीई तथा सिडनी वर्बा ने राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधिसम्मत गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।" व्यापकतर अर्थ में परम्परागत क्रियाओं के अतिरिक्त राजनीतिक निर्णयों के प्रति विरोध व्यक्त करने या समर्थन तथा प्रदर्शनों एवं उपद्रवों जैसी विविध राजनीतिक क्रियाओं को भी राजनीतिक सहभागिता में सम्मिलित किया जाता है।

राजनीतिक सहभागिता : महत्व (Political Participation : Significance)

आधुनिक शासन प्रणालियों में राजनीतिक सहभागिता का विशिष्ट महत्व है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्थायित्व वैधता पर आधारित होता है और वैधता जन समर्थन पर। इसलिए कहा जाता है कि सहभागिता के परिणामस्वरूप समर्थन शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। आधुनिक युग में नागरिकों की इच्छा के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा नागरिकों में गतिशीलता लाने के लिए हर पद्धति विभिन्न प्रकार की

Scanned with CamScanner

संस्थाओं की रचना करके यह प्रयत्न करती है कि नागरिक अधिक से अधिक पद्धति की गतिविधियों में सहयोगी बनें। आधुनिक युग लोकतान्त्रिक युग कहलाता है जिसका अर्थ न केवल निर्वाचन के समय मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का गठन करना है बल्कि लोकहित में इस सरकार को नागरिकों की इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य करना भी है। यही कारण है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में संचार साधनों के माध्यम से समय-समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पश्चात् या निर्णय लेने के पूर्व सरकार नागरिकों की इच्छा जानने का प्रयत्न करती है, यह तभी सम्भव हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक पद्धति की गतिविधियों में सहयोगी बनें। राजनीतिक सहभागिता की अवधारणा हर समय में हर राजनीतिक व्यवस्था को आंकने व परखने का आनुभविक साधन रहा है। यह ऐसा तथ्य है जो राजनीतिक व्यवस्था की चीर-फाड़ किए बिना ही उसके अन्दर झांकने का अवसर देता है जिससे उनकी 'स्वस्थता' या 'रुग्णता' का मोटा अनुमान लग जाता है। सहभागिता राजनीतिक संस्कृति को भी प्रभावित करती है तथा उनको परिवर्तित करने में सहभागिता का विशेष हाथ रहता है। इसलिए विकासशील देशों में सहभागिता पर कुछ अधिक ही बल दिया जाता है।

राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी सिद्धान्त (Theories of Political Participation)

सहभागिता सम्बन्धी सिद्धान्त के निर्माण में अनेक बाधाएं हैं तथा सहभागिता से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित कर लेने के पश्चात् भी उनका विश्लेषण तथा उन विश्लेषणों के आधार पर सिद्धान्त निर्माण करना उतना ही कठिन है जितना कि सहभागिता सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करके उनका सामान्यीकरण करना। इसका मूल कारण यह है कि सहभागिता स्तर, समय और परिस्थिति के कारणवश बदलते रहते हैं। एक राज्य में सहभागिता के कारक दूसरे राज्य के कारकों से भिन्न होते हैं तथा एक ही राज्य में एक समय में किसी भी विशेष कारक के कारण सहभागिता स्तर ऊंचा हो सकता है, वही कारक दूसरे समय में अगर निम्न नहीं रहता तो स्तर को प्रभावित भी नहीं करता।

शिक्षा स्तर और सहभागिता स्तर परस्पर सम्बन्धित हैं तथा उच्च शिक्षा सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठा देती है। इसी प्रकार आर्थिक दृष्टि से जो देश सम्पन्न हैं उनमें सहभागिता का स्तर ऊंचा रहता है अर्थात् सम्पन्नता और सहभागिता स्तर परस्पर और प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार रोपर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक दृष्टि से जो देश जितने अधिक पिछड़े होते हैं उन देशों में सहभागिता का स्तर निम्न तो रहता ही है। लिप्सेट एवं लर्नर ने सामाजिक, आर्थिक आधुनिकीकरण में व राजनीतिक सहभागिता के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक-आर्थिक विकास सहभागिता के स्तर पर निर्भर है तथा जिस समाज में सहभागिता का स्तर निम्न होगा उस देश में न केवल आधुनिकीकरण की क्रिया कम होगी, बल्कि राजनीतिक स्थायित्व में भी कमी होगी।

प्रायः राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित दो सिद्धान्त बहुचर्चित हैं—**पहला सिद्धान्त** जो पुराना सिद्धान्त कहलाता है, के अनुसार, उच्च श्रेणी का सहभागिता स्तर प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र में विश्वास करता है, परन्तु प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के अभाव में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पूर्ण निष्ठा व्यक्त करता है। यह पद्धति संवैधानिक तथा लोककल्याणकारी है। इस पद्धति में आधुनिकीकरण की मात्रा उच्च श्रेणी में होगी। **दूसरा सिद्धान्त** मताधिकार के विस्तार को सामाजिक परिवर्तनों के साथ जोड़ता है अर्थात् जिस देश में मताधिकार जितना व्यापक होगा उस देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा पद्धति में स्थायित्व भी होगा। आमण्ड ने इस सिद्धान्त की चर्चा विकासशील देशों के सन्दर्भ में की है। उनका मत है कि यह सिद्धान्त इन देशों पर लागू नहीं होता है। अनेक देशों में जहां मताधिकार व्यापक रूप से सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो गया है वहां आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं परिवर्तन की गति धीमी एवं मध्यम श्रेणी की है। राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास एवं निष्ठा मध्यम श्रेणी की ही दिखाई देती है। उग्रवादी प्रदर्शन राजनीतिक वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है, परन्तु ऐसे देशों में जहां मताधिकार व्यापक नहीं है या सीमित व्यक्तियों को ही प्राप्त है, उन देशों में आर्थिक-सामाजिक विकास

Scanned with CamScanner

का स्तर ऊंचा है। इसलिए मताधिकार के विस्तार का आर्थिक-सामाजिक विकास एवं परिवर्तन से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

मिलब्राथ ने राजनीति में सहभागी लोगों में मात्रात्मक अन्तरों की बात की है। उनके अनुसार राजनीति से विरक्त लोगों को छोड़कर राजनीति में सहभागी लोग तीन प्रकार के होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने सहभागिता में संलग्न व्यक्तियों की राजनीतिक गतिविधियों के तीन प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं : (i) दर्शक गतिविधियां, (ii) सांक्रान्तिक गतिविधियां तथा (iii) लड़ाकू गतिविधियां।

(i) **दर्शक गतिविधियां**—इस प्रकार की क्रियाओं में औपचारिकता का पुट रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से विरक्त तो नहीं होता पर उसका राजनीति में उलझाव भी बहुत नरम सा रहता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतया राजनीति का ऐसा दर्शक रहता है, जो उसमें कूदता नहीं केवल अवसर होने पर उसमें सहभागी बन जाता है। दर्शक गतिविधियां हैं—वोट देना, राजनीतिक वार्तालाप करना, अपने वाहन पर किसी के राजनीतिक चिह्न का स्टीकर चिपका लेना।

(ii) **सांक्रान्तिक गतिविधियां**—सांक्रान्तिक गतिविधियां ऐसी राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित होती हैं जिसमें व्यक्ति को साधारण से अधिक दिलचस्पी और सक्रियता रहती है। ये गतिविधियां हैं—राजनीतिक प्रदर्शनों व रैलियों में शामिल होना, किसी उम्मीदवार या दल को वित्तीय सहायता देना, आदि।

(iii) **लड़ाकू गतिविधियां**—लड़ाकू गतिविधियां राजनीति में व्यक्ति की पेशेवर भूमिका कही जा सकती है। यहां व्यक्ति राजनीति को अपना व्यवसाय ही बना लेता है। वह अपना सारा समय राजनीति को दे देता है। ये गतिविधियां हैं—राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनना, चुनाव में उम्मीदवार होना, दल के नेता का पद संभालना, आदि।

रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक सहभागिता से राजनीतिक प्रभावशीलता बढ़ती है। उसने राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में राजनीतिक प्रभावशीलता के निम्नलिखित तीन कारण बताए हैं—(1) यदि लोग राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने से उत्पन्न लाभों को अन्य क्रियाओं से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान समझते हैं तो वे राजनीति में भाग लेंगे। (2) यदि लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वे राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेकर उनसे उत्पन्न लाभों को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात् यदि वे यह अनुभव करते हैं कि वे राजनीतिक निर्णय निर्माण पद्धति को प्रभावित कर मनोनुकूल परिणाम उत्पन्न करवा सकते हैं तो वे राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेंगे। (3) यदि लोगों को यह अनुभव हो जाए कि बिना राजनीति में भाग लिए वे अपने इच्छित उद्देश्यों या लाभों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो वे राजनीति में अवश्य भाग लेंगे।

राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं (Devices of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता में विविध प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। मैक्गलोस्की के अनुसार इसमें मतदान, जानकारी प्राप्त करना, वाद-विवाद एवं धर्मान्तरण सभाओं में उपस्थित रहना, चन्दा देना, प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क रखना, आदि विशिष्ट क्रियाएं तथा दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना, चुनाव अभियान में भाग लेना, राजनीतिक भाषण देना या लिखना तथा सार्वजनिक एवं दलीय पदों के लिए चुनाव में भाग लेना, आदि जैसे अधिक सक्रिय रूपों को सम्मिलित किया जाता है।

वुडवर्ड तथा **रोपर** ने राजनीतिक सहभागिता की पांच क्रियाएं बताई हैं :

1. चुनावों में मत देना,
2. प्रभावक समूहों का सदस्य बनकर इन्हें समर्थन प्रदान करना,
3. विधायकों से प्रत्यक्ष संचार करना,
4. राजनीतिक दलों की गतिविधियों में भाग लेकर विधायकों पर अधिकार प्राप्त करना, तथा
5. अन्य नागरिकों से मौखिक रूप से राजनीतिक विचारों का आभ्यासिक प्रचार करना।

राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप (Various Kinds of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता के कतिपय रूप अग्र प्रकार हैं :

Scanned with CamScanner

1. मतदान- मतदान राजनीति में भाग लेने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। इसके अन्तर्गत मतदाता उम्मीदवारों को अपनी स्वीकृति देकर शासन में निर्णय लेने का अधिकारी बनाता है। मतदान राजनीतिक सहभागिता का ऐसा रूप है जो सदैव नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतया चुनाव के समय ही किया जाता है। मतदान का महत्त्व चुनाव की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। एक सामान्य चुनाव और मध्यावधि चुनाव के अन्तर्गत इसको देखा जा सकता है। मतदान इस बात का प्रमाण है कि प्रजातन्त्र के अन्तर्गत जनता को इस कार्य में भाग लेने का मौका दिया जाता है।

2. **प्रत्याशी या दल को धन देना** प्रत्याशी या दल को धन देकर उसकी सहायता करना भी एक प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है। यह कार्य सभी लोग नहीं कर सकते हैं। इस कार्य को केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन है। धन देना स्वस्थ प्रजातन्त्र के हित में नहीं है, क्योंकि अधिक धनवान व्यक्ति पैसे के माध्यम से मत खरीद लेते हैं और इस प्रकार प्रजातन्त्र जनसाधारण की व्यवस्था न रहकर पैसे वालों द्वारा खरीदा जाने वाला एक खिलौना मात्र बन जाता है।

3. **अर्द्ध-राजनीतिक तथा राजनीतिक संगठनों की सदस्यता**—अर्द्ध-राजनीतिक तथा राजनीतिक दलों की सदस्यता भी एक राजनीतिक क्रिया है। ऐसी सदस्यता साधारण तथा सक्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। आज दूध बेचने वाले से लेकर बड़े से बड़ा पूंजीपति अपने हित से सम्बन्धित हित समूह का सदस्य होना है। इन समूहों द्वारा वे अपने हित की पूर्ति का प्रयास करते हैं। अपने हित को पूरा करने के लिए जनमत को पक्ष में करते हैं। वे प्रचार अभियान में भाग लेते हैं। प्रचार अभियान में भाग लेना भी एक राजनीतिक क्रिया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता से हमारा तात्पर्य दलों की सदस्यता से है। राजनीतिक दल अतिरिक्त संवैधानिक संरचनाएं हैं जो राजनीतिक तन्त्र को गतिशील बनाती हैं। साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों को संविधान का अंग बना दिया गया है। दल के किसी पद पर नियुक्त होना भी राजनीतिक सहभागिता है।

4. **चुनाव लड़ना**—निर्वाचन के मैदान में आकर जनता के नेतृत्व को हाथ में लेने का कार्य सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की राजनीतिक सहभागिता है। चुनाव लड़ने का कार्य सदैव नहीं किया जा सकता है। केवल चुनाव के समय ही इसको किया जा सकता है। निर्दलीय रूप से या किसी दल के प्रत्याशी के रूप में दोनों ही रूपों में इस कार्य को किया जा सकता है।

5. **उद्दण्ड घटनाएं**—प्रदर्शन, हिंसा, घेराव तथा हड़ताल भी राजनीतिक कार्य हैं, किन्तु ये सामान्य रूप से सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य विशेष परिस्थितियों में ही किए जाते हैं। जब व्यक्ति संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों की पूर्ति करवाने में असफल हो जाता है तब वह इनका प्रयोग करता है। व्यवस्था के संचार मार्गों की कुशलता एवं आदा को प्रदा में रूपान्तरित करने की क्षमता पर इनकी बारम्बारता निर्भर करती है।

राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख कारक (Bases of Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख कारक निम्नांकित हैं :

1. **सामाजिक कारक**—राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक समाजीकरण का परिणाम है। इसमें शिक्षा व्यवसाय, आय, लिंग, आयु, निवास-स्थान, गतिशीलता, धर्म, प्रजाति तथा सामूहिक प्रभाव जैसे अनेक सामाजिक कारण सहायक हैं। अमरीका तथा पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के आधार पर सामाजिक कारकों की राजनीतिक सहभागिता में भूमिका निम्न प्रकार से समझी जा सकती है : (i) **शिक्षा**—उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। (ii) **नगरीय-ग्रामीण**—नगरीय लोगों की अपेक्षा कृषकों अथवा ग्रामवासियों में राजनीतिक सहभागिता में सक्रियता की सम्भावना कम होती है। (iii) **सामाजिक एकजुटता**—श्रमिक संघ के सदस्य गैर-श्रमिक संघ के सदस्यों की अपेक्षा राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। (iv) **निवास**—किसी समुदाय में व्यक्ति का निवास जितनी अधिक लम्बी अवधि के लिए होता है, उतनी ही राजनीतिक सहभागिता अधिक पाई जाती है। (v) **आयु**—राजनीतिक सहभागिता

Scanned with CamScanner

आयु के साथ-साथ वढ़ती है, परन्तु 50-60 वर्ष की आयु के पश्चात् कम होने लगती है। (vi) **लिंग**—पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक राजनीतिक सहभागिता पाई जाती है।

2. **मनोवैज्ञानिक कारक**—व्यक्ति की अकेले न रहकर अन्य लोगों से सहयोग करने की स्थिति राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करती है। एक जिज्ञासु प्राणी होने के कारण व्यक्ति राजनीतिक सहभागिता द्वारा पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है। राजनीतिक सहभागिता मानसिक तनाव को कम करने तथा व्यक्ति को इससे दूर ले जाने में सहायक हो सकती है।

3. **राजनीतिक कारक**—सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारक भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं। अगर राजनीतिक संचार के माध्यम नहीं है अथवा अपनी भूमिका ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे हैं या सरकारी संस्थाएं जटिल व कठोर नियमों से जकड़ी हुई हैं तो राजनीतिक सहभागिता की सम्भावना कम होगी। स्वतन्त्र दलीय गतिविधियां, राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता व माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीति प्रेरित-भावना, आदि कारक भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं।

4. **आर्थिक कारक**—राजनीतिक सहभागिता की आर्थिक व्याख्या देने का भी प्रयास किया गया है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं।

राजनीतिक सहभागिता तथा राजनीतिक व्यवस्था (Political Participation and Political System)

राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का एक कार्य है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख कार्य निर्गम एवं निवेश हैं। राजनीतिक सहभागिता दोनों ही है। ऐसी दशा में राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करती है। इसी प्रकार राजनीतिक सहभागिता भी राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है।

राजनीतिक व्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। प्रजातन्त्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता राजनीति में सक्रिय भाग लेती है। यह एक ऐसा तन्त्र है जिसके अन्तर्गत संचार के मार्गों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। ये मार्ग जनता के लिए खुले होते हैं। प्रजातन्त्र लोकप्रिय सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत मानव विचारों एवं क्रियाओं पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होता है। शासन के विभिन्न स्तरों पर लोकप्रिय सहभागिता को नियन्त्रित एवं सीमित किया जाता है। वर्तमान सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं दो प्रकार की हैं : प्रतिक्रियावादी जैसे इटली का फासिस्ट शासन, जर्मनी का नाजी शासन और आधुनिक साम्यवादी जैसे रूस तथा चीन। इन दोनों ही प्रकार की सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक सहभागिता के अवसर वहुत ही सीमित होते हैं। राजनीतिक सहभागिता का आदेश राज्य की ओर से आता है। राज्य का यह निर्देश होता है कि व्यक्ति कव और कैसे राजनीति में भाग ले सकता है।

Scanned with CamScanner